न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास मिथलेश कुमार, आरएएस

प्रकरण सं0 19/2020/251 (ए) आरटीए

1. उमकंवर पत्नी भंवरसिंह
2. हेमसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह
4. गुलाबसिंह पुत्र सियाणसिंह
5. जसवंतसिंह पुत्र सियाणसिंह
6. भींवसिंह पुत्र सियाणसिंह
7. रामसिंह पुत्र सियाणसिंह
8. प्रेमकंवर पत्नी सियाणसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर

9. रामेश्वर पुत्र खीवाराम
10. भागीरथ पुत्र मोतीराम (हजफ)
11. गीता पुत्री मोतीराम (हजफ)
12. धीसूदेवी पुत्री मोतीराम (हजफ)
13. भगवानी देवी पुत्र मोतीराम (हजफ)
14. सोनी देवी पत्नी मोतीराम (हजफ)

समस्त जाति जाट निवासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. संतोष पत्नी नेमीचंद
2. सुभाष पुत्र नेमीचंद (हजफ)

समस्त जाति जाट निवासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर

3. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा रूल्याणी, सीकर
4. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सीकर
5. तहसीलदार, धोद मु. सीकर जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री नानूराम बुडानियां, वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गिरधारीलाल गुर्जर, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 12.03.2021

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अर्न्तगत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित प्रार्थी सं. 1 ता 3 के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 494

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:37 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 2.29 हेक्टेयर व खसरा सं. 482 रकबा 2.89 हेक्टेयर, जिनके मध्य में प्रार्थी सं. 4 ता 7 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 493 रकबा 1.39 हेक्टेयर व प्रार्थी सं. 8 की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 586/489 रकबा 1.4908 हेक्टेयर व प्रार्थी सं. 9 की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 524/487 रकबा 1.58 हेक्टेयर एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 523/487 है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में आवागमन हेतु कटान में कोई रास्ता मौजूद नहीं है, लेकिन प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 ने आपसी सहमति से 5 मीटर चौड़ा रास्ता जो खसरा सं. 494 की उत्तरी पश्चिमी से होता हुआ खसरा सं. 493 की उत्तरी ओर फिर खसरा सं. 587/489 की उत्तरी ओर फिर खसरा सं. 586/489 उत्तरी सींव फिर पूर्वी सींव एवं फिर उत्तरी सींव के सहारे–सहारे खसरा सं. 524/487 की पूर्वी सींव से होकर फिर दक्षिण सींव होता हुआ खसरा सं. 523/487 में उत्तरी पश्चिमी कोने से होता हुआ खसरा सं. 482 में प्रवेश कर उसमें आगे 5 मीटर तक जाता है। जो संलग्न नक्शे में A.B.C.D.E.F.G.H.I से बरंग लाल सुर्ख से दर्शित है। यह कि प्रार्थीगण की आपसी सहमति से प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु रास्ते के प्रयोजन में आने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खसरा सं.	रकबा	खातेदार का नाम	रास्ते का क्षेत्रफल
1	494	2.29 हेक्टेयर	उच्छबकंवर पत्नी भंवरसिंह, हेमसिंह, हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह बहिस्सा बराबर–बराबर जाति राजपूत सा. देह	0.0242 हेक्टेयर
2	493	1.39 हेक्टेयर	गुलाबसिंह, जसवंतसिंह, भीमसिंह, रामसिंह पुत्रगण सियाणसिंह, प्रेमकंवर पत्नी सियाणसिंह बहिस्सा बराबर–बराबर जाति राजपूत सा. देह	0.0737 हेक्टेयर
3	586/489	1.4908 हेक्टेयर	रामेश्वर पुत्र खींवाराम जाति जाट सा. देह	0.1084 हेक्टेयर
4	524/487	1.58 हेक्टेयर	संतोष पत्नी नेमीचंद, सुभाष पुत्र नेमीचंद, भागीरथ पुत्र मोतीराम, गीता पुत्री मोतीराम, घीसू पुत्री मोतीराम, भगवानी देवी पुत्री मोतीराम, सोनी पत्नी मोतीराम जाति जाट सा.देह	0.1262 हेक्टेयर
5	482	2.89 हेक्टेयर	उच्छबकंवर पत्नी भंवरसिंह, हेमसिंह, हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह बहिस्सा बराबर–बराबर जाति राजपूत सा. देह	0.0025 हेक्टेयर
6	523/487	0.8800 हेक्टेयर	संतोष पत्नी नेमीचंद, सुभाष पुत्र नेमीचंद जाति जाट सा. देह	0.0079 हेक्टेयर
7	587/489	0.0192 हेक्टेयर	गै.मु. रास्ता	0.0032 हेक्टेयर

यह कि भूमि खसरा सं. 482 के उक्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खसरा सं. 585/492 व 589/488 जो वर्तमान में रास्ता कटान में है लेकिन इसके संबंध में विवाद है, उक्त रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है, इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ते को कटान में करवाये जाने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण ने तो रास्ते में जाने वाली भूमियों को आनुपातिक रूप से मुआवजा का भी समायोजन कर लिया है, जिससे आपस में कोई मुआवजा नहीं लेना चाहते है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 जो कई दिनों से राजीरजा प्रचलित रास्ते को कटान में करवाये जाने का आश्वासन दे रहे है तथा कहने पर दिनांक 15.06.2020 को रास्ते को कटान करवाने के लिए मना करने पर यह आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

प्र

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:37 IST
Reason: SelfAttested

बारदस्ता आराजियात अप्रार्थी सं. 3 व 4 के यहां पक्षकारों ने अपनी भूमियों को रहन कर रखा है तथा अप्रार्थी सं. 5 जो भूमिधारक राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से आवश्यक अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाये गये है। आवेदन न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से आवेदन उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजियात भूमि खसरा सं. 494, 493, 586/489, 524/487, 523/487 एवं 482 में आवागमन हेतु 5 मीटर चौड़ा रास्ता जो आवेदन की मद सं. 2 व 3 व संलग्न नक्शे में A.B.C.D.E.F.G.H.I से बरंग लाल सुर्ख से दर्शित है, को रास्ते के रूप में कटान किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार को प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री गिरधारीलाल गुर्जर उपस्थित होकर जवाब पेश कर प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 5 तहसीलदार, धोद के पत्रांक/राजस्व/2020/649 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। वकील प्रार्थीगण की ओर से एक आवेदन बाबत संशोधन हेतु पेश कर निवदेन किया गया कि खसरा सं. 524/487 के तत्कालीन खातेदार प्रार्थी सं. 10 ता 14 एवं अप्रार्थी सं. 2 सुभाष का नाम हजफ फरमाया जावें। जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने अनापति जाहिर करने पर उक्त आवेदन को स्वीकार कर प्रार्थी सं. 10 ता 14 व अप्रार्थी सं. 2 का नाम मूल आवेदन से हजफ किया गया।

03. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बदले रास्ता दिये जाने में उभयपक्ष सहमत है। उसी अनुरूप रास्ते का आदेश दिया जावे।

04. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रैवासी तहसील धोद के खसरा सं. 494 रकबा 2.29 हेक्टेयर व खसरा सं. 482 रकबा 2.89 हेक्टेयर में आवागमन के संबंध में तहसीलदार धोद द्वारा प्रस्तावित रास्ता (नजरी नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित) के लिए समस्त खातेदार सहमत है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

अतः तहसीलदार, धोद की नक्शा सहित प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रैवासी तहसील धोद के खसरा सं. 494 रकबा 2.29 हेक्टेयर व खसरा सं. 482 रकबा 2.89 हेक्टेयर में आवागमन के संबंध में तहसीलदार धोद द्वारा प्रस्तावित रास्ता (नजरी नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित) के अनुसार प्रस्तावित सारणी के अनुसार नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाकर नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है–

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:37 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	उच्छवकंवर पत्नी भंवरसिंह हि. 1/3, हेमसिंह पुत्र भंवरसिंह हि.1/3, हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह हि.1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहिनशाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा रूल्याणी, सीकर	484	2.29 हेक्टेयर	बारानी प्रथम	0.0242 हेक्टेयर
2	गुलाबसिंह पुत्र सियाणसिंह हि. 1/5, जसवंतसिंह पुत्र सियाणसिंह हि. 1/5, रामसिंह पुत्र सियाणसिंह हि. 1/5 रहिन पीएनबी, कृ.उ.म. शाखा सीकर मूर्तहीन, प्रेमकंवर पत्नी सियाणसिंह हि. 1/5, भीमसिंह पुत्र सियाणसिं हि. 1/5 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	493	1.39 हेक्टेयर	बारानी प्रथम	0.0737 हेक्टेयर
3	सिवायचक राज्य सरकार्	587/489	0.0192 हेक्टेयर	गै.मु. रास्ता	0.0032 हेक्टेयर
4	रामेश्वर पुत्र खीवाराम जाति जाट सा. देह रहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सीकर	586/489	1.4908 हेक्टेयर	बारानी द्वितीय	0.1084 हेक्टेयर
5	संतोष पत्नी नेमीचंद हि. 1/12, सुभाष पुत्र नेमीचंद हि. 1/12, गीता पुत्री मोतीराम हि. 1/6, घीसू पुत्री मोतीराम हि. 1/6, भगवानी देवी पुत्री मोतीराम हि. 1/6, भागीरथ पुत्र मोतीराम हि. 1/6, सोनी पत्नी मोतीराम हि. 1/6 जाति जाट सा.देह	524/487	1.5800 हेक्टेयर	बारानी द्वितीय	0.1262 हेक्टेयर
6	संतोष देवी पत्नी नेमीचंद जाति जाट सा. देह खातेदार रहिन बीआरकेजीबी शाखा सेवद बड़ी	523/487	0.8800 हेक्टेयर	बारानी द्वितीय	0.0079 हेक्टेयर
7	उच्छवकंवर पत्नी भंवरसिंह, हि. 1/3, हेमसिंह पुत्र भंवरसिंह हि. 1/3, हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा रूल्याणी	482	2.89 हेक्टेयर	बारानी द्वितीय	0.0025 हेक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:37 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तद्नुसार पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:37 IST
Reason: SelfAttested